भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4145
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण

4145. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एमआरआई मशीनों, सीटी स्कैनर इत्यादि जैसे उच्च-स्तरीय और उच्च-मूल्य वाले, प्रयुक्त या नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों की संशोधित आयातित सूची को स्पष्ट करने वाला कोई ज्ञापन जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 का उल्लंघन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सूची का विस्तार भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्व में अनुमति दिए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है और विस्तारित सूची में अनुमति दिए गए प्रत्येक उपकरण का ब्यौरा क्या है साथ ही उपरोक्त उल्लिखित उपकरणों को अनुमति देने के क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क), (ग) और (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सूचित किया है कि प्रारंभ में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पुन: उपयोग के उद्देश्य से आयात हेतु गहन परिचर्या चिकित्सा उपकरणों के अलावा 50 उच्च स्तरीय और उच्च मूल्य वाले प्रयुक्त चिकित्सा उपकरणों की सूची अग्रेषित की थी। इसके पश्चात, एमओईएफसीसी द्वारा दिनांक 19.06.2023 को गहन परिचर्या चिकित्सा उपकरणों के अलावा 50 उच्च स्तरीय और उच्च मूल्य के प्रयुक्त चिकित्सा उपकरणों की सूची प्रदान करते हुए कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था (**अनुलग्नक-I**)। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से दिनांक 20.08.2024 के कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति पर उपकरणों की संख्या को घटाकर 38 करते हुए उच्च स्तरीय और उच्च मूल्य के प्रयुक्त/नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों की संशोधित सूची भेजी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 19.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए गहन परिचर्या चिकित्सा उपकरणों के अलावा 38 उच्च स्तरीय और

उच्च मूल्य के प्रयुक्त/नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों की संशोधित सूची के साथ दिनांक 15.10.2024 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया (**अनुलग्नक-II**)।

(ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.04.2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी। इस नीति का लक्ष्य भारत में एक अभिनव और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योग का विनिर्माण करके, पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाकर, विनियामक ढांचे और गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति को सुव्यवस्थित करके रोगियों की उभरती हुई स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को त्वरित विकास के पथ पर लेकर जाना है। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या परिणामों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले रोगी-केन्द्रित, अभिनव और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित होगी।

अनुलग्नक-I

दिनांक 20.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4145 के भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	उपकरण का नाम
1	एमआरआई
2	सीटी
3	पीईटी-सीटी
4	स्पेक्ट/स्पेक्ट-सीटी/गामा कैमरा
5	मैमोग्राफी
6	उच्च स्तरीय एक्स-रे-नॉन-आईसीयू
7	अल्ट्रासाउंड-नॉन-आईसीयू
8	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उपकरण
9	सी-आर्म (सर्जरी)
10	रेडियोथेरेपी उपकरण
11	माइक्रोबायोलॉजी-माइक्रोबियल पहचान और एएसटी
12	सूक्ष्म जीव विज्ञान-रक्त, रोगाणुरहित शारीरिक तरल पदार्थों में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने वाली प्रणालियाँ।
13	ईएलएफए प्रौद्योगिकी पर आधारित मल्टी पैरामीट्रिक इम्यूनोएसे विश्लेषक
14	आणविक निदान-आणविक संक्रामक रोग निदान प्रणाली
15	माइक्रोबायोलॉजी-उन्नत मास स्पेक्ट्रोमेट्री माइक्रोबियल पहचान प्रणाली
16	रक्त कोशिका विश्लेषक
17	माइक्रोस्कोप स्लाइड मेकर/स्टेनर
18	केमिलीलुमिनसेंट इम्यूनोएसे विश्लेषक
19	क्लिनिकल रसायन विश्लेषक
20	इम्यूनोहेमेटोलॉजी ऑटो विश्लेषक
21	मूत्र विश्लेषक
22	रोबोटिक सहायता प्राप्त शल्य चिकित्सा प्रणाली, उपकरण और सहायक उपकरण
23	फेमटोसेकंड ऑप्थाल्मिक सॉलिड-स्टेट लेजर सिस्टम
24	फेकोएमल्सीफिकेशन और विट्रेक्टोमी प्रणाली
25	नेत्र एक्साइमर लेजर प्रणाली
26	ओसीटी पॉस्टिरीएर और ऐन्टीरीअर सेग्मेन्ट
27	फंडूस इमेजिन सिस्टम अधिमानतः अल्ट्रावाइड फील्ड के साथ एफएफए और आईसीजी
28	कॉर्नियल टोपोग्राफी
29	ऑप्टिकल बायोमीटर
30	क्लिनिकल कॉर्नियल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप
31	उच्च स्तरीय प्रचालन माइक्रोस्कोप
32	ऐब्लेशन प्रणाली
33	एंडोस्कोपिक कैमरा प्रणाली
34	एंडोस्कोप

35	ऑर्थोपेडिक रोबोटिक नेविगेशन प्रणाली
36	मेडिकल—ग्रेड मॉनिटर
37	इमेज प्रबंधन प्रणाली
38	मेडिकल-ग्रेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्रिल
39	प्रवाह नियंत्रण पंप
40	इन्सफ़्लेशन डिवाइस
41	एनसीवी/ईएमजी प्रणाली
42	ईएफजी प्रणाली
43	रिपेटिटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेट स्टिमूलेटर
44	मॉनिटर सहित फलैक्सिबल वीडियो यूरेटेरोरनोस्कोप
45	चेयर सहित वीडियो यूरोडायनामिक
46	क्रायड एब्लेशन सिस्टम
47	4के एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जरी सिस्टम
48	ओटी एकीकरण प्रणाली
49	उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड प्रणाली
50	3डी—4के लैप्रोस्कोपी प्रणाली

<u>**अनुलग्नक-II**</u>

दिनांक 20.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4145 के भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिकित अनुलग्नक

क्र.सं.	उपकरण का नाम
1	एमआरआई
2	सीटी
3	पीईटी-सीटी
4	स्पेक्ट/स्पेक्ट-सीटी/गामा कैमरा
5	मैमोग्राफी
6	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उपकरण
7	रेडियोथेरेपी उपकरण
8	ओटी एकीकरण प्रणाली
9	4के एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जरी सिस्टम
10	आणविक निदान—आणविक संक्रामक रोग निदान प्रणाली
11	माइक्रोबायोलॉजी-उन्नत मास स्पेक्ट्रोमेट्री माइक्रोबियल पहचान प्रणाली
12	रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जिकल सिस्टम, उपकरण और सहायक उपकरण
13	फेमटोसेकंड ऑप्थाल्मिक सॉलिड-स्टेट लेजर सिस्टम
14	फेकोएमल्सीफिकेशन और विट्रेक्टोमी प्रणाली
15	नेत्र एक्साइमर लेजर प्रणाली .
16	ओसीटी पॉस्टिरीएर और ऐन्टीरीअर सेग्मेन्ट
17	फंडस इमेजिंग सिस्टम, एफएफए और आईसीजी सहित अधिमानतः अल्ट्रावाइड फील्ड, साथ
18	कॉर्नियल टोपोग्राफी
19	ऑप्टिकल बायो मीटर
20	उच्च स्तरीय प्रचालन माइक्रोस्कोप
21	ऐब्लेशन प्रणाली
22	एंडोस्कोपिक कैमरा प्रणाली
23	एंडोस्कोप
24	ऑर्थोपेडिक रोबोटिक नेविगेशन सिस्टम
25	उच्च स्तरीय चिकित्सा—ग्रेड मॉनीटर
26	इमेज प्रबंधन प्रणाली
27	मेडिकल-ग्रेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्रिल
28	प्रवाह नियंत्रण पंप
29	इन्सफ़्लेशन डिवाइस
30	एनसीवी/ईएमजी प्रणाली
31	ईईजी प्रणाली
32	रिपेटिटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेट स्टिमूलेटर
33	चैयर सहित वीडियो यूरोडायनामिक
34	क्रायो एब्लेशन प्रणाली
35	उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड प्रणाली
36	3डी—4के लैप्रोस्कोपी सिस्टम
37	उच्च गुणवता वाली डेंटल चेयर
38	कोन-बीम कम्प्यूटेड टोमोग्राफी सिस्टम (सीबीसीटी)

*****